प्रारंभिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.

उनवान

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल

..................वादी

बनाम

1. श्री फतेह सिंह पिता पर्वत सिंह के बजाय:—
   1. (1) श्रीमती देवूबाई पत्नि फतेहसिंह राजपूत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
   2. (2) नागेन्द्रसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत नाबालिग जरिये माता श्रीमती देवूबाई पत्नि फतेहसिंह निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
   3. (3) सुश्री भानु पिता फतेहसिंह राजपूत नाबालिग जरिये श्रीमती देवूबाई पत्नि फतेहसिंह निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
2. श्री महेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
3. श्रीमती समाकुंवर पिता पर्वतसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
4. श्री फुलसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
5. श्री खुमाणसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
6. श्री अभयसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
7. श्री दलपतसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार झाडोल

..........प्रतिवादी

दावा बाबत :— धारा 53, 88, 188 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर :— 34 / 2019

निर्णय दिनांक 27.02.2020

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.02.2020 को अक्षय गोदारा I.A.S. उपखण्ड अधिकारी झाडोल के समक्ष प्रारंभिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है व प्रारंभिक डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा व बंटवाडा का सिद्व पाये जाने से स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण 1 से 7 को मृतक माता श्रीमति मन्नाबाई के 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता

Akshay
सहायक कलक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

है। इस प्रकार वादी का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/6, प्रतिवादी 4 से 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्से के अनुसार वादी का वाद प्रारंभिक तौर पर डिकी किया जाकर मौजा अटाटिया पटवार मण्डल अटाटिया तहसील झाडोल की जमाबंदी संवत 2071–74 की खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नंबर 689, 692, 694, 696 से 702, 704, 706 से 709, 711 से 713, 716, 717, 739, 749, 767, 769, 776, 793, 796, 800, 811, 1424, 1442/695 कुल किता 30 कुल रकबा 2.52 है0 कुल लगान 33.28 रूपये का बंटवाडा पक्षकारों को पूर्व सुचना देकर यथासंभव उनकी उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करें तथा धारा 53 रा. का.अधि. तथा उसके तहत बनाए नियम 18 से 21 (राजस्व मंडल) की पालना करते हुए राजस्व रिकार्ड पर आए हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंड बोण्ड्स करने हेतु तहसील झाडोल को 500 रूपये फिस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस (रंग सहित) तैयार कर पेश करें। फिस कमिश्नर मौके पर वादी अदा करे, पक्षकार दिनांक 03.03.2020 को मौके पर उपस्थित रहें।

पर्चा डिकी आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर, झाडोल
झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.

मुकदमा नम्बर :– 34 / 2019

उनवान

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।

..............वादी

बनाम

1. श्री फतेह सिंह पिता पर्वत सिंह के बजाय:–

   1/(1) श्रीमती देवूबाई पत्नि फतेहसिंह राजपूत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।

   1/(2) नागेन्द्रसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत नाबालिग जरिये माता श्रीमती देवूबाई पत्नि फतेहसिंह निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।

   1/(3) सुश्री भानु पिता फतेहसिंह राजपूत नाबालिग जरिये श्रीमती देवूबाई पत्नि फतेहसिंह निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।

2. श्री महेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।
3. श्रीमती समाकुंवर पिता पर्वतसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।
4. श्री फुलसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।
5. श्री खुमाणसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।
6. श्री अभयसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।
7. श्री दलपतसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी अटाटिया तहसील झाडोल।
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार झाडोल।

..........प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.का.अधि.

उपस्थित– श्री फतहलाल सुथार वकिल वादी

सहायक कलेक्टर, झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (seal)

akshay

सहायक कलेक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

आदेश निर्णय दिनांक 27.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा अटाटिया पटवार मण्डल अटाटिया तहसील झाडोल की जमाबंदी संवत 2071–74 की खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नंबर 689, 692, 694, 696 से 702, 704, 706 से 709, 711 से 713, 716, 717, 739, 749, 767, 769, 776, 793, 796, 800, 811, 1424, 1442/695 कुल किता 30 कुल रकबा 2.52 है0 कुल लगान 33.28 रूपये स्थित है। उक्त भुमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व वादी व प्रतिवादीगण की माता मन्ना बाई पत्नी जोध सिह की संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की है। माता श्रीमति मन्नाबाई का देहान्त हो चुका है। इसलिए मन्नाबाई के हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खातेदारी अधिकार का घोषित कराए जाने का वादी अधिकारी है। उक्त भुमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।शामिल शरीक हिस्से माफिक अपनी अपनी सुविधानुसार काबिज काश्त है। लगान भी शामिल शरीक जमा करा रहे है।

वादी अपनी भुमि का विकास करना चाहता है किन्तु विभाजन नही होने से कठिनाईयां आ रही है। अतः भुमि का विभाजन कराया जाकर वादी का हिस्सा उसके पृथक खातेदारी में दर्ज कराया जावें। साथ ही बाद बंटवाडा प्रतिवादीगण 1 से 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वें वादी के हिस्से आने वाली भुमियों में वादी के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, न ही अन्य से करावें।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बंटवाडा हेतु कहने पर धमकी दी कि तुझे बराबर हिस्सा नही मिल सकता तथा बंटवाडा कराने से दिनांक 17.06.2019 को इन्कार कर दिया। इसलिए बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो जाने से यह वाद प्रस्तुत किया। अंत में कहा कि मृतक माता श्रीमति मन्नाबाई का 1/7 हिस्सा का उनके विधिक वारिशान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को खातेदार घोषित किया जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एंड बोण्ड्स विधिवत हिस्से माफिक बंटवाडा कराया जाकर वादी के हिस्से आने वाली भुमि बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने की प्रतिवादीगण वादी के हिस्से आने वाली भुमियों पर वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें न अन्य से ही करावें।

इस पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब तलब किया गया। बावजुद सुचना के प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एकतरफा प्रारंभ की गई। इस अवधि में प्रतिवादी संख्या एक की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिशान को कायम मुकाम किया गया। वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 146 की नकल प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 एवं वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार मृतक माता श्रीमति मन्नाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकिल वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

सहायक कलक्टर ... झाडोल ... जिला उदयपुर (राज.)

Akhey
सहायक कलक्टर
झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर

वादी द्वारा वाद की ताईद अपने मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र से कराई गई। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा व बंटवाडा का सिद्व पाये जाने से स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण 1 से 7 को मृतक माता श्रीमति मन्नाबाई के 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस प्रकार वादी का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/6, प्रतिवादी 4 से 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्से के अनुसार वादी का वाद प्रारंभिक तौर पर डिक्री किया जाकर मौजा अटाटिया पटवार मण्डल अटाटिया तहसील झाडोल की जमाबंदी संवत 2071–74 की खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नंबर 689, 692, 694, 696 से 702, 704, 706 से 709, 711 से 713, 716, 717, 739, 749, 767, 769, 776, 793, 796, 800, 811, 1424, 1442/695 कुल किता 30 कुल रकबा 2.52 है0 कुल लगान 33.28 रूपये का बंटवाडा पक्षकारों को पूर्व सुचना देकर यथासंभव उनकी उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करें तथा धारा 53 रा. का.अधि. तथा उसके तहत बनाए नियम 18 से 21 (राजस्व मंडल) की पालना करते हुए राजस्व रिकार्ड पर आए हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंड बोण्ड्स करने हेतु तहसील झाडोल को 500 रूपये फिस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस (रंग सहित) तैयार कर पेश करें। फिस कमिश्नर मौके पर वादी अदा करे पक्षकार दिनांक 03.03.2020 को मौके पर उपस्थित रहें। पर्चा डिक्री जारी होवे। तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर, झाडोल
सहजिला कलक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर, झाडोल जिला उदयपुर सत्यमेव जयते